<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

M/s Absolute Auto Pvt. Ltd., **प्रस्तावक, श्री अनिमेष सांवरिया, पिता–श्री अनिल कुमार सांवरिया,** **बंगला–7, चंचानी कॉलोनी, धनबाद** के द्वारा किऊल नदी ब्लॉक–06 बालू घाट, मौजा–सागदाहा, बेला, परसा, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 16.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2330/2023, दिनांक 24.03.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''दैनिक भास्कर'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **14.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना शर्मा एवं श्री सतीश सिंह ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा- किऊल नदी ब्लॉक–06 बालू घाट, मौजा–सागदाहा, बेला, परसा, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अनिमेष सांवरिया को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 06 में प्रतिवर्ष 126072 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 111.98 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 06 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि'' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
5. खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
6. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
12. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
13. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रंजीत कुमार, ग्राम–मानपुर, खैरा, जिला–जमुई के द्वारा बैठक को घाट के पास नहीं किये जाने, खनन से धूल उड़ने, अधिक गहराई तक खनन करने, स्थल पर पेयजल की समस्या एवं भूजल स्तर नीचे जाने के संबंध में पुछा गया।	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि यह प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। स्वीकृति मिलने के पश्चात ही खनन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इनके द्वारा यह बताया गया कि परियोजना के लिए लोक–सुनवाई हेतु स्थल के आस–पास उपयुक्त जगह पर लोक–सुनवाई किया जाना है। इसकी सूचना एक माह पूर्व समाचार–पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया। निर्धारित मात्रा से ज्यादा खनन होने की स्थिति में जिला खनन पदाधिकारी को इस बारे में सूचित किया जा सकता है, जिसके आधार पर जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा कारवाई की जायेगी। धूल–कण के दमन के लिए पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण का प्रस्ताव है, भूजल स्तर की मॉनिटरिंग किया जाने का प्रस्ताव है।
2.	श्री बिनोद यादव, पिता–श्री अर्जुन यादव, ग्राम–मानपुर, खैरा, जमुई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया।	क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना के संबंध में सार्वजनिक सूचना एक माह पूर्व समाचार–पत्र के माध्यम से दिया जाता है । समय पूर्व सुझाव प्राप्त होने पर इस संबंध में कारवाई की जा सकती है। निर्धारित मात्रा से ज्यादा खनन होने की स्थिति में जिला खनन पदाधिकारी को इस बारे में सूचित किया जा सकता है, जिसके आधार पर जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा कारवाई की जायेगी।
3.	श्री अशोक यादव, पिता–श्री सरयुग प्रसाद यादव, मानपुर, खैरा, जमुई के द्वारा खनन से भू–जल स्तर नीचे चले जाने का शिकायत किया गया साथ ही कितनी गहराई तक खनन किया जाना है, की जानकारी मांगी गई।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा बताया गया कि पूर्व में 3 मीटर के गहराई तक खनन करने का प्रावधान था, जबकि अभी अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान किया गया है। अपर समाहर्ता द्वारा सूचित किया गया कि जमुई जिला में पूर्व में पुनर्भरण का अध्ययन नहीं किया गया था। वर्तमान में अध्ययन की कारवाई की जा रही है। नियमित रूप से भू–जल स्तर की जांच, विश्लेषण का प्रस्ताव है।

4.	श्री धनेश्वर मांझी, पिता–श्री जीवलाल मांझी, ग्राम–बड़ाबांध, खैरा, जमुई द्वारा बांध पर वृक्षारोपरण एवं पिचिंग कार्य कराने का अनुरोध किया गया।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना प्रस्ताव में न्यूनतम 100 की संख्या में वृक्षारोपरण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निजी जमीन पर वृक्षारोपरण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कारवाई की जायेगी। बांध के पिचिंग के संदर्भ में CSR के तहत कार्य कराया जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

जिला खनन पदाधिकारी, जमुई के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरणी देते हुए सूचित किया गया कि पहले नदियों का पुनर्भरण व्यवस्था का अध्ययन नहीं होता था, जबकि अब मानसून के पूर्व एवं बाद में पूनर्भरण अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। अवैध खनन की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कारवाई की गई है जिसमें जुर्माना वसूली, प्राथमिकी दर्ज कराने की कारवाई शामिल है, जो आगे भी जारी रहेगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राप्त सुझावों पर आवश्यक कारवाई की जायेगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

19-6-2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

19/6/23

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

M/s Absolute Auto Pvt. Ltd., श्री अनिमेष सांवरिया, पिता-श्री अनिल कुमार सांवरिया, बंगला-7, चंचनी कॉलोनी, धनबाद, झारखण्ड द्वारा किऊल नदी ब्लॉक-06 बालू घाट, मौजा-सागदाहा, बेला, परसा, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Aulak Ram	Adm(P&R) cum DPGRO Jamui	[signature] 16/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional officer (BSPCB) Bhagalpur	[signature]
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 16/6/2023
4.	Aprila	Mines inspector	[signature] 16/6/2023
5.	Aneesh Kumar	Asst. Scientific Officer R.O. Bhagalpur, BSPCB	Anish 16/06/2023
6.	MUNNA SHARMA4 Satish Singh	Rian Enviro Pvt Ltd Raja Bazar, Patna	[signature]
7.	manish Kumar	Nijuddara	[signature]
8.	श्रवण कुमार सिंह	[illegible]	श्रवण कुमार सिंह
9.	Ramrekh Kumar	मानपुर	Ramrekh Kumar
10.	Mukesh Singh	Parsa	Mukesh Singh

11.	उमेश साव	पकरी	उमेश साव
12.	प्रकाश देव यादव	मानपुर	प्रकाश देव यादव
13.	मनी साव	पकरी	मनी साव
14.	सतेन्द्र सिंह	चौहानडीह	सतेन्द्र सिंह
15.	चन्द्रन सिंह	तेलरिया	चन्द्रन सिंह
16.	जयनन्दन प्रसाद	मानपुर	जयनन्दन प्रसाद
17.	रविन्द्र यादव	मानपुर	रविन्द्र कुमार
18.	मनोज यादव	मानपुर	मनोज यादव
19.	अशोक सिंह	तेतेरा	अशोक सिंह
20.	अम्बिका यादव	जोरवाडा धरमपुर बेला	अम्बिका यादव
21.	पिन्टु यादव	मानपुर	पिन्टु यादव
22.	अशोक यादव	मानपुर पंचायत बेला	अशोक यादव
23.	बादल सिंह	तेलरिया	बादल सिंह
24.	केदार सिंह	तेलरिया	केदार सिंह
25.	नरेश यादव	तेलरिया	नरेश यादव

26.	प्रमोद यादव	मानपुर	प्रमोद यादव
27.	Somnath Sinha	Jamu	Somnath
28.	कामेश्वर मांझी	ग्राम बड़रमीघा	कामेश्वर मांझी
29.	विनोद यादव	मानपुर	विनोद यादव
30.	सतीश कुमार	त'	सतीश सिंह
31.	धनराज सिंह	[illegible]	धनराज सिंह
32.	Kamal Singh	Lakhshat	K.l. Singh
33.	विश्वनाथ सिं.	जमुई	विश्वनाथ सिंह
34.	Bibhuti Yadav	Begusarai	विभूति यादव
35.	Manish Singh	Khaira	Manish Singh
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			